



OFFICE OF THE CHIEF GENERAL MANAGER, M.P.TELECOM CIRCLE, BHOPAL

पत्र क्र. एस आर -67/ यूनियन/रिकॉग./मेन/ बीएसएनएलईयू/चेष्ट.-III/2018-19/10

दिनांक 17/07/2018

बैठक के कार्यवृत्त

विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु दिए गए मुद्दों पर म.प्र.परिमंडल प्रबंधन के साथ बीएसएनएलईयू यूनियन की बैठक दिनांक 14.06.2018 को माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय के कक्ष में संपन्न की गई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं यूनियन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए :

प्रबंधन की ओर से :

1. डॉ महेश शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र.परिमंडल,
2. श्री पी.दयाल, महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.),
3. श्री के.के.सूर्यवंशी, संयुक्त महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.),
4. श्री वाई के.पोरस, सहा.महाप्रबंधक(सं. एवं प्र.),

बीएसएनएलईयू यूनियन की ओर से :

1. श्री बी.एस.रघुवंशी, परिमंडल अध्यक्ष,
2. श्री प्रकाश शर्मा, परिमंडल सचिव,
3. श्री एच.एस.ठाकुर, सहा.परिमंडल सचिव,
4. श्री योगेश शर्मा, सहा.परिमंडल सचिव,
5. श्री लखन पटेल, सहा.परिमंडल सचिव,
6. श्री मनोज शर्मा, सहा.परिमंडल सचिव,
7. श्री पी.के.तवर, सहा.परिमंडल सचिव,

निम्नलिखित दिए गए मुद्दों पर सिलसिलेवार चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए :-

1. सतना में ब्रुटिपूर्ण किराया भुगतान पर कार्यवाही में विलंब :

जवाब एवं निर्णय : इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई एवं माननीय मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण गहन छानबीन एवं जाँच हेतु उपमहाप्रबंधक(सतर्कता) को सौप दिया गया हैं। विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अपितु जात हो की महाप्रबंधक (वित्त), परिमंडल कार्यालय के द्वारा इस प्रकरण पर प्रारंभिक कार्यवाही की गई एवं सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी पत्र भी जारी कर दिया गया है। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)

2. जबलपुर प्रबंधन द्वारा स्पेशल सीएल स्वीकृति से संबंधित मनमाने आदेश निरस्त हो:

जवाब एवं निर्णय : इस मुद्दे पर प्रबंधन द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रबंधन द्वारा निरंतर महाप्रबंधक, जबलपुर से पत्राचार किया जा रहा है एवं उनसे इस प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज भी मंगवाए गये हैं ताकि सही निर्णय लिया जा सके (पत्र दिनांक संलग्न)। महाप्रबंधक, जबलपुर से पत्र प्राप्त हो गया है एवं इस संबंध में निर्णय महाप्रबंधक जबलपुर को दे दिया गया है। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)

3. टीडीई दमोह का तानाशाहीपूर्ण रवैया :

जवाब एवं निर्णय : इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा उपरांत प्रबंधन की ओर से बताया गया कि श्री आर.पी.राठौर का भारमुक्त दस दिवस पूर्व ही कर दिया गया हैं। साथ ही पत्र क्रं.SR-41/Union/Recog./Main/BSNLEU/CH-I/2016-17/87 Dated 29.06.2018 के द्वारा टीडीई दमोह को उपरोक्त प्रकरण में FIR कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया हैं। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)

4. म्युच्युअल ट्रांसफर रुल 8 ट्रांसफर व रिलिविंग :

जवाब एवं निर्णय : इस मुददे पर चर्चानुसार प्रबंधन की ओर से बताया गया कि समय समय पर कर्मचारी की जरूरतों/ विशेष परिस्थितियों में ही पिछले वित्त वर्ष में नियम 8 के अंतर्गत विभिन्न केडर में काफी स्थानांतरण किये गये हैं। चूँकि छोटे / ग्रामीण एसएसए में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है अतः इस कारण वहां से कर्मचारियों का स्थानांतरण बीएसएनएल की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है फिर भी यूनियन प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के अनुरोध एवं विभागीय हित को देखते हुए प्रबंधन द्वारा नियम-8 के अंतर्गत SOA(TL) /Telegraph Man -2 , ATT-7 , SOA(G)/ AOS(G)/SOS- 4 , TT- 5, JE- 2, MD- 2 एवं 04 J.E. के पारस्परिक स्थानांतरण कर दिए गए हैं। (पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं)

5. टेम्पररी स्टेट्स मजदूर का दर्जा पूर्व दिनांक से देने विषयक :

जवाब एवं निर्णय : टेम्पररी स्टेट्स मजदूर का दर्जा देने की पालिसी बी एस एल निगमित कार्यालय की पालिसी है एवं यह पालिसी 01.10.2000 से लागू है। अतः इस पालिसी के हिसाब से जितने भी अस्थाई मजदूर हैं वे 01.10.2000 से ही टेम्पररी स्टेट्स मजदूर के दर्जे के लिए पात्र हैं।

6. केशलेस मेडिकल सुविधा:

जवाब एवं निर्णय : इस मुददे पर विस्तृत चर्चा की गई एवं प्रबंधन की ओर से बताया गया कि केशलेस मेडिकल सुविधा कर्मचारियों के हित में ही शुरू की गई थी। प्रबंधन के संज्ञान में यह बात आई है कि इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है एवं कई एस ए में अधिकारी /कर्मचारी बगैर जरूरत के भी इंडोर मेडिकल हेतु भर्ती हो रहे थे जिससे मेडिकल व्यय में काफी बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल व्यय में कटौती करने एवं जरूरत पड़ने पर ही भर्ती होने के उद्देश्य से म.प्र.परिमंडल में केशलेस सुविधा को बंद किया गया। जिसके काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। चूँकि इस व्यवस्था से जरूरतमंद कर्मचारियों को अधिक तकलीफ हो रही थी एवं आपके यूनियन की तरफ से भी इस सुविधा को बहाल किये जाने की मांग की जा रही थी अतः विस्तृत चर्चानुसार प्रत्येक बी.ए./एसएसए में एक या दो अस्पतालों को केशलेस करने का निर्णय लिया है एवं इस सम्बन्ध में सभी बी.ए./एसएसए को पत्र दिनांक 10.07.2018 के द्वारा निर्देशित भी किया गया है। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)

7. खंडवा व रतलाम में ट्रांसफर आदेश में नियमों की अनदेखी:

जवाब एवं निर्णय : इस मुददे पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रबंधन ने बताया कि टीडीएम, खंडवा के द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला सचिव, बीएसएनएलईयू, खंडवा से चर्चा की जा चुकी है एवं समस्या का समाधान किया जा चूका है। टीडीएम, रतलाम ने भी जिला सचिव, बीएसएनएलईयू, रतलाम से चर्चा कर सुनिश्चित किया है कि सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है।

8. जबलपुर के मोटर ड्राईवर के प्रमोशन प्रकरण :

जवाब एवं निर्णय : इस मुददे पर प्रबंधन के द्वारा अवगत कराया गया कि इस पर 03 मोटर ड्राईवर के प्रमोशन आईर निकले जा चुके हैं। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)

9. परिमंडल कार्यालय से टी टी के स्थानांतरण पर रोक :

जवाब एवं निर्णय : इस मुददे पर विस्तृत चर्चा की गई एवं प्रबंधन की तरफ से बताया गया कि परिमंडल कार्यालय में कार्यरत T.T. पद टेक्नीकल हैं एवं निगमित कार्यालय ने भी उन्हें नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरण किये जाने का स्पष्टीकरण दिया हैं। अतः सभी संबंधित पक्षों से पूर्व में की गई चर्चानुसार प्रत्येक वर्ष परिमंडल कार्यालय से 5-5 T.T. का स्थानांतरण, भोपाल एसएसए द्वारा किया जावेगा। चूँकि T.T. के पद टेक्नीकल पद हैं एवं टेक्निकल व्यक्तियों की परिमंडल कार्यालय में आवश्यकता नहीं हैं एवं पद भी स्वीकृत नहीं हैं अतः परिमंडल कार्यालय से स्थानांतरित T.T. के स्थान पर नये T.T., भोपाल एसएसए से परिमंडल कार्यालय स्थानांतरित नहीं किये जावेंगे।

10. मेडिकल बिल्स की भुगतान प्रक्रिया में विलंब :

जवाब एवं निर्णय : इस संबंध में प्रबंधन की ओर से बताया गया कि कुछ मामलों में एसएसए से बिल पूर्ण रूप से नहीं आते हैं जिससे संबंधित एसएसए से जानकारी मंगवाने एवं प्राप्त होने में विलम्ब होता है। कुछ मामलों में यह पाया गया की कुछ कर्मचारी बगैर छुट्टी के भी अपना इंडोर ट्रीटमेंट करवा चुके थे। फिर भी मामले की गंभीरता एवं कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ज्यादा तकलीफ न हो इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय द्वारा निर्णय लिया गया है कि कल्याण विभाग द्वारा मेडिकल बिलों का निपटान अधिकतम तीन माह में कर दिया जायेगा।

11. कन्फरमेशन के प्रकरण :

जवाब एवं निर्णय : इस मुददे पर प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी इस आशय का पत्र निकला गया था। पुनः इस पर सभी बी.ए. एवं एसएसए को स्मरण पत्र दिनांक 03.07.2018 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)

12. सफाई व्यवस्था व एमेनिटीज की उपलब्धता :

जवाब एवं निर्णय : म.प्र. परिमंडल प्रबंधन की ओर से बताया गया की समय समय पर सफाई व्यवस्था एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए समस्त बी.ए. एवं एस ए प्रमुखों को पत्र द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है। अपितु किसी एसएसए में सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है अथवा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो प्रबंधन के संज्ञान में उस एसएसए का नाम लाया जाए। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए समस्या का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में पुनः मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सभी एसएसए को अर्धशासकीय पत्र द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)

13. व्यक्तिगत प्रकरण :

जवाब एवं निर्णय :

- श्रीमती इकबाल कौर भसीन , ओ एस , जबलपुर प्रकरण :** इस प्रकरण में माननीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, जबलपुर को उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर दिया है एवं संभवतः इस प्रकरण में कार्यवाही कर दी गई है।

- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ए डी एस छतरपुर प्रकरण :** Shri Anil Kumar Shrivastav, AOS Has not submitted the case of scholarship of his Daughter Ku. Ashita Shrivastava in due course of time for Financial year 2014-15 and submitted reminder on dated 07.11.2017 under submission of audit account till Financial year 2016-17.
- श्रीमती मीना कुर्मा ए टी टी जबलपुर प्रकरण :** श्रीमती मीना कुर्मा का निवेदन आवेदन इस कार्यालय में अप्राप्त है। पत्र प्राप्त होते ही नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
- श्री शाकिर बेग , टी टी भोपाल प्रकरण:** यह प्रकरण विचाराधीन हैं एवं महाप्रबंधक दूरसंचार जिला भोपाल से श्री शाकिर बेग , टी टी के डेप्युटेशन से संबंधित रिपोर्ट बुलवाई गई हैं ताकि प्रकरण में माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय के निर्णयानुसार स्पष्टीकरण दिया जा सके।
- श्री बी एम सोनपराते ए एस (जी) बैतूल प्रकरण:** इस प्रकरण में अवकाश को स्वीकृत कर लिया गया है एवं परिमंडल कार्यालय द्वारा मेडिकल क्लेम स्वीकृत कर दिया गया है। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)

अंत में प्रबंधन की तरफ से, बीएसएनएलईयू के परिमंडल सचिव एवं प्रतिनिधियों का उनके सकारात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद् एवं आभार व्यक्त किया गया।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुमोदित है।

सहा.महाप्रबंधक (सं.एवं प्र.)
परिमंडल कार्यालय , भोपाल |

प्रतिलिपि:

- निज सचिव, मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र.परिमंडल सूचनार्थ।
- परिमंडल सचिव, बीएसएनएलईयू, म. प्र. परिमंडल एवं उपस्थित यूनियन के प्रतिनिधि सूचनार्थ।
- संबंधित बी.ए./एस एस ए प्रमुख म.प्र.परिमंडल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- महाप्रबंधक(मा.सं./प्रशा.), परिमंडल कार्यालय सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।